

पत्र संख्या 1698 / 16C
सेवामें,

दिनांक 24/05/2022

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय— वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/12372/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पाण्डवथली उछोला माणा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ— उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1014/x-4-16/1(267)/2016 दिनांक 13.12.2016।
महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 1558/16सी दिनांक 08.07.2019 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी हैं, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय होने के कारण एनपीवी की बढ़ी हुए धनराशि जमा किये जाने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की संशोधित बिन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः उपलब्ध कराये जाने लिखा गया है—

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़ों स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव व एनपीवी हेतु वांछित धनराशि रु० 1,72,656.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 15089113123722015119 IFSC code CORP0000371, Corporation Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न— संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में इको क्लास के अनुसार 0.35 है० वनभूमि एनपीवी की देय धनराशि रु० 2,29,950.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-1)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी की धनराशि रु० 1,21,874.00 मात्र की ऑन लाइन जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई०पी०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाइन अपलोड करेगा जिसे नोडल द्वारा ऑन लाइन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाइन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाइन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन	शर्त संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 4,02,606.00 + 1,21,874.00 मात्र)



	लाइन अपलोड करेगा जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु ऑन लाइन /हार्डकापी राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्याबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्याबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन अपलोड किये जा चुके हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है, संलग्नक-3
6	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन कर दिये गये हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है, संलग्नक-4
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असांतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में निहित समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	उपरोक्तानुसार शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तानुसार सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

9/

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि-

- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

9/

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन
Application for RTGS/NEFT Remittance



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा / Branch :

दिनांक/Date : 23/01/23

Received From¹

से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर / on :

बैंक / Bank: स्वामीयन बैंक आफ इण्डिया

शाखा / Branch :

के पक्ष में / Favouring : इतरेचल केम्पा

आईएफएससी कोड : 1188 Code

खाता संख्या / Account No.

राशि (रुपये) / Amount ₹ :

बैंक प्रभार/Bank's charges ₹:

योग / Total ₹ :

राशि / Rupees (in words) : एक लाख रुपया सहित

आह जो चल कर आय
CBCN0783794 दि 20/3/23
रु. 121074.00

5	FP/UK/ROAD/12372/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/12372/2015)	ROAD123722015412	5112372412	13 Dec 2016	CA: PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 121874/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 121874/-	PAID	Fund Demand Verified by: 16 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 16 Mar 2023 Transaction Date: 23 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/15032023133518568_FP/UKROAD123722015_User_Fund_Demanded_5809F.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD123722015412)
6	FP/UK/ROAD/8797/2014 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8797/2014)	ROAD87972014616	5187970616	15 Mar 2016	CA: PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 109687/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 109687/-	PAID	Fund Demand Verified by: 04 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 04 Mar 2023 Transaction Date: 23 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/010320231500390490_FP/UKROAD87972014_User_Fund_Demanded_943N8.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD87972014616)
7	FP/UK/ROAD/8895/2014 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8895/2014)	ROAD88952014845	5188950845	26 Jul 2018	CA: PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 597870/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5217670/-	PAID	Fund Demand Verified by: 23 Aug 2018 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 02 Feb 2023 Transaction Date: 16 Feb 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5119124212146583W/Demandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD88952014845)
8	FP/UK/ROAD/10579/2015 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10579/2015)	ROAD105792015465	5110979465	09 Oct 2020	CA: PCA: 271433/- Safety Zone: 0/- NPV: 264443/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 535876/-	PAID	Fund Demand Verified by: 02 Nov 2020 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 23 Jan 2023 Transaction Date: 10 Feb 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1011212251210_1K37/demandletter.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD109792015465)



UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

रुद्रप्रयाग



उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in

Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या
सेवा में,

1558/16 ली

दिनांक 8/7/2019

विषय—

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

सन्दर्भ—

वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/12372/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पाण्डवथली उछोला माना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.35 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 1014/X-4-16/01(267)2016 दिनांक 13.12.2016

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है—

- प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव व एनपीवी हेतु कुल बांछित धनराशि ₹ 4,02,606.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 15089113123722015119 IFSC code CORP0000371, Corporation Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न— संलग्नक-1)।
- प्रयोक्ता अभिकरण लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार यथोचित वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु बांछित ₹ 1,72,656.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक-1 के अनुसार)।
- प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि ₹ 2,29,950.00 मात्र की धनराशि ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक-1 के अनुसार)।
- शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग जमा करने के लिए बचनबद्ध है, संलग्नक-2।
- शर्त संख्या 1 व 2 के अनुसार।
- प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन अपलोड किये जा चुके हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है, संलग्नक-3
- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन कर दिये गये हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है, संलग्नक-4.
- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में निहित समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—

- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फारेस्ट कोलोनी उत्तराखण्ड, चेहराईन को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

12/31/2019

AGENCY COPY
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA
Date : 31-12-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113123722015119
MoEF/SG File No.	01(267)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	402606/-

Amount in Words : Four Lakh Two Thousand Six Hundred and Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	15089113123722015119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Indrajit
नमिनासी नमिनासी
नमिनासी नमिनासी
नमिनासी नमिनासी

https://www.corpbank.co.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD123722015119&INVLD=T

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी० 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आयु० चिकित्सालय-रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

आविशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। परियोजना के निर्माण के दो संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

आदिशासी अभियन्त
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय निदेशिकाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

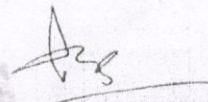
प्रमाणित किया जाता है कि
रुद्रप्रयोग विवर्जित
रुद्रप्रयोग १३

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत गयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी० 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आयु० चिकित्सालय-रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग


अधिसारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

FORM-1**(for linear projects)**

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**

No--- 66

Dated 30/04/2015

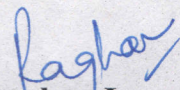
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.3500 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Pandavthali-Uchola-Mana Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Nag & Dharkot** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


(Dr. Raghav Langer)

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

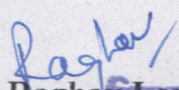
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 30/4/15 at time ..2.00 P.m. at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.3500 hect for the Construction of Pandavthali-Uchola-Mana Motor Road under District Sector (0.600 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:..30/4/15


(Dr. Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी० 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आयु० चिकित्सालय-रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली-~~कुरखोला~~ मानाडमोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- ~~धारकोट~~ ~~है ना~~

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी० 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा०आयु० चिकित्सालय-रा०उ०मा०वि० पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल० 1.00 किमी० (वा० 0.600 किमी०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.3500 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.3500 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~धारकोट~~ ~~है ना~~ द्वारा दिनांक 23/02/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~धारकोट~~ ~~है ना~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

✓

~~लक्ष्मी देवी~~

(लक्ष्मी देवी)

क्षेत्र पंचायत सदस्य कुरखोला

वाड न० 23

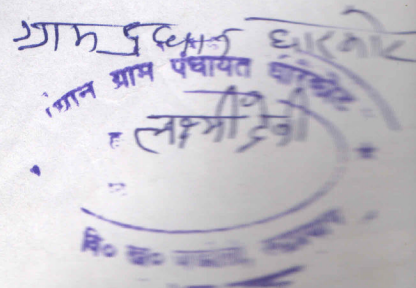
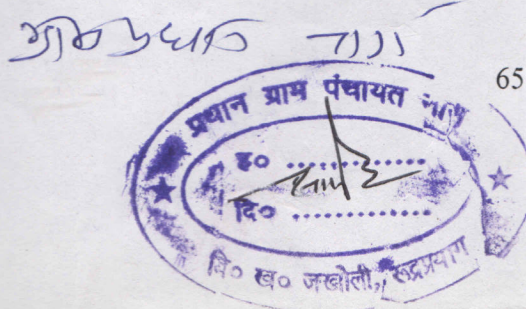
विकास खण्ड जखोली (रुद्रप्रयाग)

ह०/-

ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय-रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली-~~जखोली~~माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

अनुसूचित

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय-रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.3500 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.3500 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 25-08-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~लक्ष्मी देवी~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 1- श्री लक्ष्मी देवी | उपजिलाधिकारी | जखोली | अध्यक्ष |
| 2- श्री सुरेश नाइ | उप प्रभागीय वनाधिकारी | जखोली | सदस्य |
| 3- श्री सुरेश शर्मा | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | जखोली | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री लक्ष्मी देवी | बी0डी0सी0 क्षेत्र | जखोली | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय-रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव परियोजना हेतु 0.3500 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत मयाली-गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली रा0आयु0 चिकित्सालय-रा0उ0मा0वि0 पाण्डवथली-उछोना-माना मोटर मार्ग ल0 1.00 किमी0 (वा0 0.600 किमी0) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव परियोजना के निर्माण हेतु 0.3500 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-जखोली, जनपद रुद्रप्रयाग।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

67

लक्ष्मी देवी
(लक्ष्मी देवी)
क्षेत्र पंचायत सदस्य कुरखोला
वाड नं0 23
विकास खण्ड जखोली (रुद्रप्रयाग)

उपप्रमाणित वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

“समझौता ज्ञापन”

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि पाण्डवथली-~~अरेकोलावाग~~ मोटर जंटा 373 वस्ती मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 23/03/2015 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

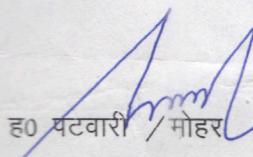
इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम भूमिधर


अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

नाम—	हस्ताक्षर
1. <u>जिह पाल सिंह मोहरी</u>	<u>जिह पाल सिंह</u>
2. <u>राजेश मोहरी</u>	<u>राजेश मोहरी</u>
3. <u>जगदीश लाल</u>	<u>जगदीश लाल</u>
4. <u>बलवीर लाल</u>	<u>बलवीर लाल</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	


ह० पटवारी / मोहर